नोट फॉर पैड

लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास), हिसार की स्थापना हरियाणा सरकार के अधिनियम 2010 की संख्या 7 द्वारा पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान, मत्स्य विज्ञान और संबधित विज्ञान की आधुनिक प्रणालियों में संबद्धता, शिक्षण और उचित एवं व्यवस्थित निर्देश, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी।

मुख्यमंत्री घोषणा क्रमांक 10188: लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार के अन्तर्गत कुरूक्षेत्र में वेटरनरी पशुधन विकास डिप्लोमा (वी.एल.डी.डी.) महाविद्यालय खोलना।

मुख्यमंत्री घोषणा को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैंः

1. कोड संख्या 10188 दिनांक 04.06.2015 के तहत की गई मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यान्वयन हेतु महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरिंग, पंचकुला से रजिस्ट्रार, लुवास के कार्यालय में पत्र दिनांक 31.07.2017 को प्राप्त हुआ।
2. डीएसडब्लयू-सह-ईओ, लुवास ने पत्र संख्या डीएसडब्लयू/2017/1035-40 दिनांक 18.08.2017 के माध्यम से उपायुक्त, कुरूक्षेत्र को गांव भिवानी खेडा में 10 एकड भूमि लुवास को हस्तांतरित करने के लिए अनुरोध किया था ।
3. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 10188 की माननीय मुख्यमत्री द्वारा अनुमोदित व्यवहार्यता रिपोर्ट महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 29338 दिनांक 06.10.2021 द्वारा सूचित की गई थी।
4. दिनांक 09.03.2022 को लुवास को 10 एकड 04 कनाल 17 मरला भूमि 33 वर्षों के लिए पट्टे पर आवंटित की गई और विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा 20.12.2022 को भूमि का सीमांकन किया।
6. विश्वविद्यालय ने प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के लिए प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग को मेमो न0 आईपीवीएस/2023/321+ई दिनांक 23.02.2023 के माध्यम से प्रस्तुत किया, जो वित्त विभाग को उनकी सहमति एवं अनुमोदन के लिए दिनांक 03.03.2023 के

यू.ओ. के माध्यम से भेजा गया था। वित्त विभाग द्वारा 24.07.2023 को एसएफसी-सी की बैठक निर्धारित की गई। इसके बाद वित्त विभाग ने यू.ओ. दिनांक 09.08.2023 के माध्यम से जानकारी दी। तदानुसार, राशि 5933.80 लाख रूपये की अनुमानित लागत के साथ वी.एल.डी. डिप्लोमा महाविद्यालय खोलने की स्थापना की मंजूरी स्थाई वित्त समिति-सी द्वारा दी गई, जिसे पत्र सं0 2489(सीएफएमएस)-एएच-04-2023/5040 दिनांक 22.08.2023 द्वारा सूचित किया गया।

इस महाविद्यालय के निर्माण हेतु बजट की मांगः

इस महाविद्यालय के निर्माण के लिए 48.40 करोड रूपये के अनुमानित बजट की मांग लुवास हिसार के पत्र संख्या CVU/LUVAS/ B-1(B-15)/2023/5879-84 दिनांक 07.11.2023 के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिसे वित्त विभाग को उनकी सहमति/अनुमोदन के लिए सी.एफ.एम.एस. संख्या 6430 दिनांक 13.12.2023 के माध्यम से भेजा गया है।

इस महाविद्यालय के लिए पदों का सृजनः

स्थाई वित्त समिति (एसएफसी)-सी की कार्यवाही के दौरान जिला कुरूक्षेत्र के भिवानी खेड़ा में उक्त महाविद्यालय के लिए बजट की मंजूरी देते समय समिति द्वारा महाविद्यालय के लिए अपेक्षित पदों के सृजन के संबंध में अगल प्रस्ताव वित्त विभाग को अनुमोदन के लिए भेजने हेतु निर्देश दिए गए। तदानुसार, लुवास, हिसार द्वारा पत्र क्रमांक 30.10.2023 को यह प्रस्ताव वित्त विभाग की सहमति / विचार के लिए दिनांक 23.11.2023 को भेज दिया गया।

निर्माण कार्य प्रारंभ करने की संभावित तिथि

आवश्यक बजट व पदों की स्वीकृति मार्च, 2024 तक प्राप्त होने की संभावना है। इसके उपरांत निर्माण कार्य की प्रकिया शुरू कर दी जाएगी।